



Form No.3
फॉर्म अहकाम
(नियम 28)


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भुसावर
राजेन्द्र बनाम रामेश्वर वगै.

किस्म मुकदमा. प्रा. पत्र धारा 212 RTA नं० 56 ..सन् .2024 जीसीएमएस न०. 168

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.06.24	<p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होवे। अप्रार्थीगण की तलबी प्रार्थी द्वारा तलवाना पेश करने पर जरिए रजिस्टर्ड डाक से जारी होवे। पत्रावली दिनांक 09.07.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (सचिन यादव) उपखण्ड अधिकारी भुसावर </p>	
9/7/24	<p>वकील प्रार्थी वकील... प्रार्थना पत्र... प्रार्थी... प्रार्थी... प्रार्थी...</p> <p style="text-align: center;">शक्ति</p>	
12.7.24	<p>आज यह पत्रावली पेश हुई वकील... प्रार्थी... प्रार्थी... प्रार्थी... प्रार्थी...</p> <p style="text-align: center;">  प्रार्थी </p>	

प्रथम पत्र के सम्बन्ध में हमने
 वहाँ प्रथम सूची ०१२ (०१२०१)
 का अवलोकन किया गया तथा इसके
 प्रत्येक डाला वेजी रिपोर्ट का अवलोकन
 किया गया जिससे प्रथम डाला का
 नाम (प्र. क्र. १०) का सम्बन्ध
 प्रथम के सम्बन्ध में प्रतीत होता है।

के. अन्वयित अन्वयित निदेशक,
 इस क्रम से जारी की जाती है (१)
 क्र. १३६६, १३६७, १३६८, १३६९
 १३७२ आदि का उल्लेख किया
 प्रथम के सम्बन्ध में जारी की जाती है
 प्रथम के रिपोर्ट एवं आदि की प्रथा (विशेष)
 अन्वयित रजि. क्र. १३६६-१३७२
~~के सम्बन्ध में जारी की जाती है~~
 प्रथम के सम्बन्ध में जारी की जाती है
 प्रथम के सम्बन्ध में जारी की जाती है
 प्रथम के सम्बन्ध में जारी की जाती है


 (सचिव अन्वयित)
 अन्वयित अन्वयित
 अन्वयित